न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 54/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. कजोड पुत्र रामबक्स मीना जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. लल्लू पुत्र महादेव
2. भौरी पुत्री महादेव
3. संतरा पुत्री महादेव
4. कौशल्या पत्नि रणजीता
5. रामकरण पुत्र रणजीता
6. भरतलाल पुत्र रणजीता
7. उप जिला कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट उनवानी प्रकरण
महादेव बनाम कजोड, वाद अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 152/2008
न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा जिला दौसा।

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री उमेश गौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,4,5 व 6 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः–17.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित आराजी खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके सह खातेदार पाच्या पुत्र रामदेवा, झौण्डिराम, मोती पुत्र किशना, मूल्या पुत्र बल्या वगैरा के विरूद्ध पेश कर रखा है। जो कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में मृत व्यक्तियों के खिलाफ एकतरफा डिक्री करवा ली थी। जिसे प्रार्थी द्वारा अपील कर निरस्त करवाया तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उभयपक्षकारो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्यक अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अप्रार्थीगण व अन्य पक्षकार पीठासीन अधिकारी रामगढ पचवारा से मिलकर राजनैतिक दबाव बनाकर प्रकरण का मनमाने तरीके से निस्तारण करवाने पर आमादा है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचारधीन प्रकरण महादेव वगैरा बनाम कजोड वगैरा मुकदमा संख्या 152/2008 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में मृत व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री करवा ली थी। जिसे प्रार्थी द्वारा अपील कर निरस्त करवाया तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उभयपक्षकारो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्यक अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय करने का निर्देश प्रदान किये गये है। अप्रार्थीगण व अन्य प्रतिवादीगण अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश से अपने हिस्से को मुक्त करवाने व मृतक मूल्या पुत्र बल्या के हिस्से की भूमि को मनमाने तरीके से अपने नाम खुलवाने की बदनीयती से पीठासीन अधिकारी से मिलकर राजीनामा पेश कर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मृतक मूल्या के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना मनमाने तरीके से प्रकरण का एकतरफा निस्तारण करवाने पर आमादा है।अप्रार्थीगण व अन्य पक्षकार राजनैतिक दबाव का उपयोग कर पीठासीन अधिकारी रामगढ पचवारा से मिलकर प्रकरण का मनमाने तरीके से निस्तारण करवाने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी पर राजनैतिक दबाव बनाकर राजीनामा करवाना चाहते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपजिला कलक्टर रामगढ पचवारा में विचारधीन प्रकरण महादेव वगैरा बनाम कजोड वगैरा मुकदमा संख्या 152/2008 को उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी लालसोट या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने को आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मुकदमा संख्या 152/2008 उनवानी महादेव वगैरा बनाम कजोड वगैरा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण से मिलकर प्रकरण का निस्तारण करने का जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को छोडकर सभी ने राजीनामा पेश कर प्रकरण का निस्तारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया था। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बार–बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। जिससे की प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक ही विलम्ब होता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे कोई औचित्यपूर्ण विशेष तथ्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसे में प्रार्थी का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा